

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/SIQE/2018-19/ 318

दिनांक : 5/4/2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
जिला- जयपुर, डुंगरपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर

प्राचार्य,
डाइट,
जिला- जयपुर, डुंगरपुर, उदयपुर,
अलवर, बीकानेर


विषय :- कक्षा 6-8 में सीसीई संचालित राजकीय विद्यालयों में रिपोर्ट कार्ड (प्रगति पत्र) पहुँचाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सम्बन्धित ब्लॉक के उन विद्यालयों में जहाँ कक्षा 6-8 में सीसीई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण कार्य किया जा रहा है। उन विद्यालयों को शीघ्र ही ई-मेल द्वारा कक्षा 6-8 का रिपोर्ट कार्ड भिजवाया जाना सुनिश्चित कर रिपोर्ट से राज्य कार्यालय को अवगत करावे।

अवगत हों कि कक्षा-8 के विद्यार्थियों का SA-4 के स्थान पर "प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण परीक्षा" राज्य स्तर से आयोजित की गई है। अतः कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु उक्त परीक्षा के अन्तर्गत, परीक्षा के पश्चात जिलों की डाइट द्वारा ग्रेड कार्ड व प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र सम्बन्धित विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा।


संलग्न - रिपोर्ट कार्ड प्रति

www.rajteachers.com


(भावना शर्मा)
उपायुक्त - द्वितीय

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एव भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि पत्र के आधार पर निदेशालय से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों एवं पीईईओ को निर्देशित करावें।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक समसा, जयपुर।
6. निदेशक, एससीईआरटी. उदयपुर।
7. उपायुक्त, शाला दर्पण, समसा जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त ई-मेल को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करावें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान जिला।
9. समस्त सम्बन्धित सीबीईओ।
10. समस्त सम्बन्धित संस्थाप्रधान/पीईईओ।
11. कार्यालय प्रति।


04.4.19
उपायुक्त - द्वितीय

9. संस्कृत	SA-1	SA-2	SA-3	SA-4
अध्यापक क्षेत्र	कक्षा स्तर	ग्रेड	कक्षा स्तर	ग्रेड
श्रवणकीर्णशाला				
भाषणकीर्णशाला				
पठन/वाचनकीर्णशाला				
लेखनकीर्णशाला				
भाषिकरत्न कौशलम				

माह	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मै
कार्य दिवस													
उपस्थिति													

उपस्थिति प्रतिशत : वृत्तित खाने में (/) 1. नियमित 2. मध्य की स्थिति 3. अनियमित

नियमितता एवं ठहराव पर टिप्पणी :


संयोजित टिप्पणी एवं प्रतिवृत्त (Feedback) :

हस्ताक्षर विद्यार्थी	हस्ताक्षर अभिभावक	हस्ताक्षर कक्षाध्यापक	हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक
----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

प्रतिवेदन एवं प्रविष्टियों के सम्बन्ध में समष्टीकरण

- यह प्रतिवेदन सत्र के अन्त में भरकर विद्यार्थियों को भ्रान्ति-पत्र के रूप में दिया गया है।
- यह प्रतिवेदन विद्यालय में संभारित विद्यार्थी के सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है।
- योगात्मक आकलनों में अधिगम उपलब्धि स्तर के लिए A, B अथवा C ग्रेड दिए गए हैं। ग्रेड देने के आधार:
 - A = स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ/दक्षता होना
 - B = शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ/दक्षता होना
 - C = शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ/दक्षता होना
- हिन्दी व अंग्रेजी भाषा एवं गणित विषय में प्रत्येक योगात्मक आकलन के साथ कक्षा-स्तर का कॉलम दिया गया है। इस कॉलम में विद्यार्थी के साथ संबंधित टर्म में जिस कक्षा स्तर की वृत्तियुती अवधारणाओं एवं कौशलों पर कार्य किया गया है, उस कक्षा का उल्लेख किया गया है। कक्षा-स्तर का निर्धारण आधार-रेखा आकलन अथवा पूर्व के योगात्मक आकलन के आधार पर किया गया है।
- कला-शिक्षा के आकलन में ग्रेड के स्थान पर क्षेत्र विशेष में विद्यार्थी की स्थिति के अनुसार कोड 1 या 2 या 3 दर्ज किया गया है।
- संयोजित टिप्पणी में संबंधित विषय/क्षेत्र में विद्यार्थी की उन्नत अधिगम उपलब्धि एवं उसके दाय की गई प्रगति का उल्लेख किया गया है। साथ ही कक्षा-विद्यार्थी विशेष के सम्बन्ध में 'ज्यास प्रतिवृत्त (Feedback)' को व्यासम्बन्ध दर्ज किया गया है।
- नियमितता रजिस्टर के आधार पर 70 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति-नियमित, 50 से 70 प्रतिशत तक उपस्थिति-मध्यम स्थिति, 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति-अनियमित स्थिति मानी गई है।

www.rajteachers.com



प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन

(उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए)

कक्षा-6 एवं 7 हेतु

सत्र 20..... - 20.....

विद्यालय का नाम:

डाइस कोड:

विद्यार्थी का नाम:

मिता का नाम:

जन्म दिनांक: (अको में)

एस. आर. नं.:

वर्क:

जिला:

कक्षा:

माला का नाम:

(शब्दों में)

रोल नं.:

अवधान हेतु आवागी कथा: प्रतिवेदन जारी करने की तिथि - -

विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर: हिन्दी गणित अंग्रेजी

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय सोल



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

